

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 84/2023 (अपील सूचना का अधिकार)

लक्ष्मीलाल पुत्र दीपा डांगी निवासी: ग्राम-ओडवानिया, ग्रा.प. गुडली, तहसील-मावली,
उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मावली (राज.)

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 05/09/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 12.06.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/84/23/1058-59 दिनांक 10.08.2023 से लिखा गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक: लोकसूअ/2023/413 दिनांक 17.08.2023 से तहसील कार्यालय मावली को सूचना प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा तहसीलदार मावली को पत्र प्रेषित कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र अंतरित किया गया। उक्त अंतरण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अनुसार नियमित समयावधि में अंतरण नहीं किया जाकर प्रथम अपील नोटिस जारी होने के उपरान्त अंतरण किया गया है।

ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, मावली को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकरण से प्राप्त कर अपीलार्थी को नियमानुसार निशुल्क 15 दिवस में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी मावली को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दपतर दाखिल हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
जिला कलक्टर एवं प्रथम अपील अधिकारी उदयपुर
उदयपुर (राज.)